

**नगर पंचायत तलाई, तहसील झण्डुता, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के
लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन**

अवधि 04/2013 से 03/2015

भाग—एक

1 प्रारम्भिक :—

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या: 1-376/81-फिन(एल0ए0)खण्ड-IV, दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि0प्र0) को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर पंचायत तलाई, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं अवधि 4/2013 से 3/2015 का अंकेक्षण कार्य किया गया।

लेखा परीक्षा अवधि के दौरान नगर पंचायत तलाई में निम्नलिखित प्रधान तथा सचिव तैनात थे:—

प्रधान

क्रम सं०	प्रधान का नाम	तैनाती की अवधि
1	श्रीमती सरोज कुमारी	1.4.13 से 31.3.15

सचिव

क्रम सं०	नाम	अवधि
1	श्री अशोक कुमार शर्मा	1.4.13 से 31.3.15

(ख) नगर पंचायत तलाई के लेखाओं अवधि 4/2013 से 3/2015 के अंकेक्षण में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार निम्नलिखित है:—

क्रम संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	पैरा संख्या	राशि लाखों में
1	दिनांक 31.3.15 तक अनुदानों की अनुपयुक्त राशि	6.1	392.69
2	निवेशित राशि की परिपक्वता पर कम ब्याज प्राप्त करना	5.1	1.25

3	अकुशल वित्तीय प्रबन्धन के कारण ब्याज की हानि बारे	5.2	0.71
4	गृहकर राशि की वसूली न करना	9	26.27
5	स्थापना पर अनाधिकृत व्यय	8	31.39
6	दुकानों के किराये की बकाया राशि की वसूली बारे	10	0.64
7	रैहन बसेरा की आय की वसूली न करना	11	0.15
8	भवन निर्माण माप चित्र शुल्क की वसूली न करने बारे	17	0.07
9	मोबाईल टावरों की स्थापना एवं नवीनीकरण शुल्क की वसूली न करने बारे	22	0.06

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "A"** पर दर्शाई गई है। यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर पंचायत द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई थी जो अत्यन्त चिन्ताजनक है। अतः नगर परिषद इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/कार्रवाई करनी सुनिश्चित करें व अनुपालना से यथा समय इस विभाग को अवगत करें ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

भाग—दो

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

नगर पंचायत तलाई, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं अवधि 1.4.2013 से 31.3.2015 तक का अंकेक्षण श्री तारा चन्द महन्त सहायक नियंत्रक (लेखा परीक्षा) व श्री पुनीत शर्मा (आर्टिकल सहायक) द्वारा दिनांक 21.5.2015 से 16.6.2015 तक तलाई में किया गया। विस्तृत जांच हेतु आय के लिए माह 3/2014, 3/2015 तथा व्यय के लिए माह 12/2013 व 3/2015 के लेखाओं का चयन किया गया जिसके परिणामों को आगामी पैरों में दर्शाया गया है। आगामी पैराग्राफों में दर्शाए गए अभिलेख के अतिरिक्त समस्त अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया।

नगर पंचायत तलाई के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण सचिव नगर पंचायत द्वारा प्रेषित सूचनाओं/उपलब्ध अभिलेख के आधार पर किया गया है। किसी

प्रकार की अधूरी व छुपाई गई सूचनाओं के लिए लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। अंकेक्षण का दायित्व केवल विस्तृत जाँच हेतु चयनित मासों तक ही सीमित होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

नगर पंचायत तलाई, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं अवधि 1.4.2013 से 31.3.2015 तक के लेखा परीक्षा का शुल्क ₹31400/- (इकतीस हजार चार सौ केवल) बनता है। सचिव, नगर पंचायत तलाई को सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) की अधियाचना संख्या स0नि0 आडिट फिन(एल0ए0डी) 531 दिनांक 16.6.2015 द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि को बैंक ड्राफ्ट द्वारा निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग शिमला-171009 को भेजने का आग्रह किया गया है। नगर पंचायत तलाई द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि ₹31400/- को हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक सीमित शाखा शाह तलाई जिला बिलासपुर (117) के बैंक ड्राफ्ट संख्या 032348 दिनांक 22.6.15 द्वारा प्रेषित किया गया।

4 वित्तीय स्थिति :-

नगर पंचायत तलाई, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं अवधि 1.4.2013 से 31.3.2015 की वित्तीय स्थिति निम्नलिखित थी विस्तृत विवरण परिशिष्ट (B) में दिया गया है।

वर्ष 2013-14

(i)	दिनांक 1.4.2013 को रोकड़ बही के अनुसार प्रारम्भिक शेष	27723282.44
(ii)	वर्ष 2013-14 में बचत खातों व सावधि जमा योजना पर अर्जित ब्याज	2219508
(iii)	वर्ष 2013-14 में पंचायत को प्राप्त अनुदान राशि	16153746
(iv)	वर्ष 2013-14 में संस्था को स्वयं स्रोतों से प्राप्त आय	1599391
(v)	वर्ष 2013-14 में प्राप्त कुल राशि	47695927.44
(vi)	वर्ष 2013-14 में व्यय की गई राशि	7461370
(vii)	दिनांक 31.3.2014 को अन्तशेष राशि	40234557.44

वर्ष 2014-15

(i)	दिनांक 1.4.2014 को रोकड़ बही के अनुसार प्रारम्भिक शेष	40234557.44
(ii)	वर्ष 2014-15 में बचत खातों व सावधि जमा योजना पर अर्जित ब्याज	3447964
(iii)	वर्ष 2014-15 में संस्था को प्राप्त अनुदान राशि	6094280
(iv)	वर्ष 2014-15 में संस्था को स्वयं स्रोतों से प्राप्त आय	2010226
(v)	वर्ष 2014-15 में प्राप्त कुल राशि	51787027.44
(vi)	वर्ष 2014-15 में भुगतान (व्यय) की गई राशि	8127022
(vii)	दिनांक 31.3.2015 को रोकड़ बही का अन्तशेष	43660005.44
(viii)	अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1996 से 3/2005 की वित्तीय स्थिति के अनुसार अन्तर की राशि	(+) 2364
(ix)	शेष राशि	43662369.44
	दिनांक 31.3.2015 को रोकड़ बही के अनुसार अन्तशेष	43662369.44
	दिनांक 31.3.2015 को बचत खातों तथा सावधि जमा योजना में निवेशित राशि	43730957.44
	रोकड़ बही के अनुसार 31.3.2015 को हस्तगत राशि	6270
	योग	43737277.44

4.1 बैंक समाधान विवरणिका:-

(i)	रोकड़ बही का 31.3.2015 तक अन्तशेष	43662369.44
(ii)	दिनांक 31.3.2015 तक रोकड़ बही में दर्ज भुगतान (व्यय) के चैक परन्तु बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये (पैरा 4.2)	(+) 74858.00
	योग	43737227.44
(iv)	दिनांक 31.3.15 को बैंक व सावधि जमा योजना में निवेशित राशि+हस्तगत शेष	43737277.44

4.2 दिनांक 31.3.2015 को रोकड़ बही में दर्ज व्यय के चैक परन्तु बैंक से भुनाये नहीं गये, का विवरण निम्नलिखित है:-

क्र०सं०	चैक नं०	दिनांक	राशि (₹)
1	694497	28.2.2015	788

2	694831	31.3.2015	1051
3	694834	31.3.2015	20903
4	694832	31.3.2015	2425
5	694830	26.3.2015	6584
6	694841	31.3.2015	17992
7	637590	31.3.2015	11000
8	637591	31.3.2015	14115
कुल योग			₹74858

(ii) दिनांक 31.3.2015 को रोकड़ बही के अनुसार हस्तगत राशि का विवरण निम्नलिखित है:-

क्र०सं०	दिनांक	विवरण	रसीद नं०	राशि (₹)	बैंक में जमा राशि (₹)	हस्तगत राशि (₹)
1	31.3.2015	गृहकर	45 / 63	1458		
2	31.3.2015	गृहकर	46 / 63	3848		
3	31.3.2015	गृहकर	47 / 63	300		
4	31.3.2015	गृहकर	48 / 63	2155		
5	31.3.2015	पंचायत क्षेत्र में लंगर लगाने हेतु आज्ञा पत्र	49 / 63	1000		
6	31.3.2015	रैहन बसेरा से आय	50 / 63	200		
7	31.3.2015	गृहकर	1 / 64	1215		
8	31.3.2015	गृहकर	2 / 64	851	5608	6270
9	31.3.2015	गृहकर	3 / 64	851		
योग राशि				₹11878	5608	6270

दिनांक 31.3.2015 को नगर पंचायत तलाई के बचत खातों व सावधि जमा योजना में निवेशित राशियों का अन्तशेष विवरण निम्नलिखित है।

क्र०सं०	बैंक खाता सं०	बैंक का नाम	अन्तशेष राशि (₹)
1	11710104001	हि०प्र० राज्य सहकारी बैंक शाखा	644420

		तलाई	
2	11710104023	—यथोपरि—	872955
3	11513219768	भारतीय स्टेट बैंक शाखा तलाई	4307314.81
4	11513219791	—यथोपरि—	12991.35
5	11513219677	—यथोपरि—	5115.28
6	FDR No. 33646486070	—यथोपरि—	5465417
7	FDR No. 33646723873	—यथोपरि—	5465417
8	FDR No. 33795684922	—यथोपरि—	1639625
9	FDR No.33794899086	—यथोपरि—	5465417
10	FDR No.33794899790	—यथोपरि—	5465417
11	FDR No.33646733365	—यथोपरि—	6767728
12	FDR No.11730100658	हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक शाखा तलाई	7608799
13	FDR No.11710104003 (STSRY)	—यथोपरि—	10341

योग 43730957.44

4.3 नगर पंचायत तलाई के पैन्शन तथा उपदान निधि की अंकेक्षण अवधि 4/2013 से 3/2015 तक की वित्तीय स्थिति निम्नलिखित है, विस्तृत विवरण परिशिष्ट (C) में दिया गया है।

(i) पैन्शन निधि:—

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	ब्याज	आय	कुल जमा	व्यय	अन्तशेष
2013—14	1590869	15163	235248	1841280	—	1841280
2014—15	1841280	157540	225384	2224204	—	2224204

अन्तशेष का विवरण

(i)	रोकड़ बही में दिनांक 31.3.2015 को अन्तशेष	2224204
(ii)	बैंक खाता संख्या 11710104024 में जमा राशि	584579
(iii)	पैन्शन सावधि जमा योजना में निवेशित राशि FDR No. 11730302785	1639625
	योग	₹2224204

(ii) उपदान निधि

2013-14	656472	10509	98016	764997	—	764997
2014-15	764997	58967	93906	917870	—	917870

अन्तशेष का विवरण

(i)	रोकड़ बही में दिनांक 31.3.2015 को अन्तशेष राशि	917870
(ii)	बैंक खाता संख्या 11710104025 में जमा राशि	371328
(iii)	उपदान सावधि जमा योजना में निवेशित राशि FDR No. 11730302786	546542

योग ₹917870

4.4 पैन्शन व उपदान निधि से निवेशित सावधि जमा विवरणी:-

नगर पंचायत तलाई द्वारा दिनांक 31.3.2015 को निवेशित राशि का विवरण निम्नलिखित है, विस्तृत विवरण परिशिष्ट "C(1)" में भी दिया गया है।

(i) पैन्शन निधि:-

क्र० सं०	एफ०डी०आर० नं०	निवेशित राशि	निवेशित दिनांक	ब्याज दर (%)	अवधि	परिपक्वता की तिथि	परिपक्वता राशि	बैंक का नाम
1	11730302785	1500000	15.5.13	9%	1 वर्ष	15.5.14	1639625	हि०प्र० राज्य सहकारी बैंक सीमित शाखा तलाई
2	11730302785	1639625	15.5.14	8.75%	2 वर्ष	15.5.16	1949516	—यथोपरि—

(ii) उपदान निधि

1	11730302786	500000	14.5.13	9%	1 वर्ष	14.5.14	546542	हि०प्र० राज्य सहकारी बैंक सीमित शाखा तलाई
2	11730302786	546542	14.5.14	8.75%	2 वर्ष	14.5.16	649839	—यथोपरि—

5 सावधि निवेश :-

नगर पंचायत तलाई द्वारा दिनांक 31.3.2015 तक ₹37877820 का निवेश सावधि जमा योजना में किया गया था। विस्तृत विवरण परिशिष्ट (D) में भी दिया गया है।

क्र०सं०	एफ०डी०आर० नं०	निवेशित राशि	निवेशित दिनांक	ब्याज दर (%)	अवधि	परिपक्वता की तिथि	परिपक्वता राशि	बैंक का नाम
1	33646486070	5465417	19.9.14	8.75%	1 वर्ष	19.9.15	5959563	भारतीय स्टेट बैंक शाखा (तलाई)
2	33646723873	5465417	19.9.14	8.75%	1 वर्ष	19.9.15	5959563	—यथोपरि—
3	33646733665	6767728	19.9.14	8.75%	1 वर्ष	19.9.15	7379620	—यथोपरि—
4	33944899086	5465417	1.3.15	8.50%	1 वर्ष	1.3.16	5944996	—यथोपरि—
5	33794899790	5465417	1.3.15	8.50%	1 वर्ष	1.3.16	5944996	—यथोपरि—
6	33795684922	1639625	1.3.15	7.50%	1 वर्ष	1.3.16	1783499	—यथोपरि—
7	11730100658	7608799	13.3.15		180 दिन	13.9.15	7896865	हि०प्र० राज्य सहकारी बैंक सीमित शाखा तलाई
योग		₹37877820					₹40869102	

5.1 निवेशित राशि की परिपक्वता पर ₹1.25 लाख का कम ब्याज प्राप्त करने बारे:-

नगर पंचायत तलाई द्वारा दिनांक 12.9.2012 को एफ०डी०आर० संख्या 32579346465 के अन्तर्गत भारतीय स्टेट बैंक तलाई में ₹15000000/- एक वर्ष की अवधि हेतु निवेशित की गई परिपक्वता की तिथि दिनांक 12.9.13 को ₹16316219/- की राशि ब्याज सहित प्राप्त की

जानी थी परन्तु बैंक द्वारा परिपक्वता की तिथि को केवल ₹16191411 की राशि संस्था को ब्याज सहित प्रदान की गई अर्थात् ब्याज की राशि ₹124808/- कम प्राप्त की गई। चर्चा के दौरान बताया गया कि बैंक द्वारा टी0डी0एस0 की कटौती करने के पश्चात शेष राशि ₹16191411/- को पंचायत के खाते में क्रेडिट किया गया था। अतः शेष ब्याज की राशि को बैंक से प्राप्त करने के पश्चात पंचायत खाते में जमा कर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जानी सुनिश्चित की जाए।

5.2 अकुशल वित्तीय प्रबन्धन के कारण निवेशित राशि पर ₹0.71 लाख ब्याज की हानि बारे:-

अंकेक्षण के दौरान निवेशित राशियों की विस्तृत जाँच के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत तलाई द्वारा 180-180 दिनों के लिये राशि निवेशित करने पर निम्नानुसार ₹4000000/- पर ₹301362 ब्याज अर्जित किया गया है।

F.D.R. No.	Date of Deposit	Rate	Pr. Amount	Period	Maturity Amount	Interest Earned
11730100658	6.10.12	7.50%	4000000	180 days/4.4.13	4147945	147945
-do-	4.4.13	7.50%	4147945	180 days/1.10.13	4301362	153417
						301362

अगर संस्था द्वारा उपरोक्त ₹4000000/- को उक्त बैंक में 180-180 दिनों के स्थान पर एक वर्ष के लिये दिनांक 6.10.12 से निवेशित किया होता तो इसी राशि पर प्रचलित ब्याज 9% की दर से निम्नानुसार ₹372333 ब्याज अर्जित किया जाना था।

$400 + 9 / 400 \times 4000000 = 4372333$ अर्थात् $(4372333 - 4000000) = 372333$ कुल ब्याज की हानि $372333 - 301362 = ₹70971$ अतः अकुशल वित्तीय प्रबन्धन के कारण संस्था को उक्त ब्याज की हानि उठानी पड़ी जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाये।

6 अनुदान:-

नगर पंचायत तलाई द्वारा अवधि 4/2013 से 3/2015 तक के दौरान प्राप्त अनुदान/व्यय की गई राशि व शेष का विवरण निम्नलिखित है विस्तृत विवरण परिशिष्ट "E" में दिया गया है।

वर्ष	गत शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	कुल योग	व्यय	अन्तशेष
2013-14	27013212	16153746	43166958	4870833	38296125
2014-15	38296125	6094280	44390405	5121884	39268521

6.1 दिनांक 31.3.2015 को अनुदान की अनुपयुक्त राशि ₹392.69 लाख:-

अंकक्षण अवधि के दौरान प्राप्त अनुदानों की विवरणी के अवलोकन पर पाया गया कि विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत प्राप्त राशि में से ₹39268521/- की राशि अनुपयोगी पड़ी थी जिसका विवरण परिशिष्ट (F) में दिया गया है। इसमें तेहरवें वित्त आयोग से प्राप्त विशेष अनुदान राशि ₹36189874/- भी शामिल है जबकि अनुदान की राशियों को प्रस्तावित उद्देश्य हेतु उसी वित्तीय वर्ष में उपयोग किया जाना अपेक्षित था। अतः अनुपयोगी राशियों को समयवध उपयोग न किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए इन अनुदान राशियों को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात उन्हीं उद्देश्य जिन हेतु यह राशि प्राप्त हुई है, व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यर्पण सम्बन्धित विभाग को किया जाए।

7 तेरहवें वित्त आयोग से सीवरेज कम्पोनेन्ट के अन्तर्गत विशेष अनुदान ₹281.00 लाख को लम्बे समय तक उपयोग न करने बारे:-

नियमों के अन्तर्गत निर्माण कार्य हेतु प्राप्त की जाने वाली राशि में पहले समस्त औपचारिकताओं जैसे कि पूर्व प्राक्लन व निर्माण स्थल जहाँ प्रस्तावित निर्माण कार्य किया जाना है को तैयार रखना व पूर्ण किया जाना आवश्यक है ताकि निर्माण कार्य समय सीमा के अन्तर्गत पूर्ण हो। नगर पंचायत तलाई द्वारा तलाई में सीवरेज के निर्माण कार्य हेतु वर्ष 2011-12 से वर्ष 2014-15 तक ₹28110000/- निम्नानुसार प्राप्त की गई।

वर्ष	पत्र संख्या	प्राप्त राशि
2011-12	यू0डी0-एच (सी) (2)-1 / 2008-III-28341-57 दिनांक 28.12.2011	2000000
2012-13	यू0डी0-एच (सी) (2)-1 / 2008-स्पेशल जी आई ए 16434-48 दिनांक 10.9.12	14600000
2013-14	यू0डी0-एच(सी)(2)-1 / 2008-स्पेशल जी आई ए 16434-48 दिनांक 3.1.2014	11500000
2014-15	यू0डी0-एच (सी) (2)-सीवरेज इन्जीनियरिंग सैल लूज 9705-9758 दिनांक 19.12.2014	10000

कुल राशि ₹28110000

नगर पंचायत द्वारा उपरोक्त प्राप्त की गई अनुदान की राशि आज दिनांक तक प्रस्तावित कार्य हेतु प्रयोग में नहीं लाई गई तथा राशि अनपयुक्त पड़ी है। उपरोक्त मामला अधियाचना संख्या ए0सी0. (आडिट)-522 दिनांक 27.5.2015 द्वारा सचिव नगर पंचायत तलाई के ध्यानार्थ स्पष्टीकरण हेतु लाया गया है। सचिव द्वारा कार्यालय पत्र संख्या एन0पी0टी0 (आडिट)/2015-852 दिनांक 5.6.15 द्वारा यह स्पष्टीकरण दिया गया कि जिस जगह सीवरेज टरीटमेंट प्लान्ट का निर्माण कार्य प्रस्तावित है। उस भूमि का कार्यग्रहण का मामला विचाराधीन है। संस्था द्वारा प्रेषित उत्तर सन्तोषजनक नहीं है। अतः अनुपयुक्त राशि को अतिशीघ्र प्रयोग में लाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित निदेशालाय को भेजे अन्यथा राशि का प्रत्यर्पण सम्बन्धित विभाग को किया जाना सुनिश्चित करें।

8 संस्थापना पर अनाधिकृत रूप से ₹31.39 लाख का अधिक व्यय:-

हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 के नियम 53 (1) तथा निदेशक शहरी विकास के कार्यालय पत्र संख्या यू0एल0बी0-एच (ए) 1-87/9237-84 दिनांक 20.6.2001 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप नगर पंचायतों में संस्थापना पर कुल व्यय का 1/3 भाग व्यय करने हेतु सीमित किया गया था परन्तु नगर पंचायत तलाई द्वारा अंकेक्षण के दौरान संस्थापना पर निम्न विवरणानुसार राशि ₹3138556/- का निर्धारित सीमा से अधिक व्यय किया गया है।

वर्ष	कुल व्यय	अपेक्षित 1/3 rd स्थापना व्यय	वास्तविक स्थापना व्यय	निर्धारित सीमा से अधिक व्यय की राशि
2013-14	7461370	2487123	3905823	1418700
2014-15	8127022	2709007	4428863	1719856
निर्धारित सीमा से अधिक व्यय की राशि				3138556

अतः स्थापना पर निर्धारित सीमा से अधिक व्यय की राशि का सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करके नियमितिकरण करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

9 गृहकर राशि ₹26.27 लाख की वसूली न करने बारे:-

नगर पंचायत तलाई द्वारा जारी विवरणानुसार दिनांक 31.3.2015 तक गृहकरदाताओं से राशि ₹2627234.00 की वसूली शेष थी। इस राशि का पूर्ण विवरण परिशिष्ट (G) में दिया गया है। नगर पंचायत द्वारा गृहकर की बकाया राशि को नियमित रूप से प्राप्त करने हेतु कोई भी ठोस कार्यवाही नहीं की गई। नगर पंचायत द्वारा नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 87 व 89 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार गृहकर की बकाया राशि की वसूली न किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये। उपवरोक्त के अतिरिक्त निम्नविवरणानुसार गृहकर की राशि ₹1359331/- कई वर्षों से वसूली हेतु लम्बित थी जबकि निदेशक शहरी विकास के पत्र संख्या यू0एल0बी0 (ए) 1/87-9237-9284 दिनांक 20.6.2001 द्वारा करों शत/प्रतिशत वसूली के निर्देश जारी किये गये थे। अतः गृहकर की समस्त राशि की वसूली हेतु समुचित कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए।

वार्ड नं0 3

क्र0सं0	नाम	गृहकर निर्धारण नं0	वार्षिक गृहकर राशि	दिनांक 31.3.15 को गृहकर बकाया राशि
1	श्री नन्द लाल	15	810	9452
2	श्री प्रीतम सिंह	21	810	9452
3	श्री राम कृष्ण	33	1350	12752
4	श्री ओंकार चन्द	37	2430	28353
5	श्री ज्ञान चंद	43	1890	19052

6	श्री बाबू राम	45	1485	16327
7	श्री ओम प्रकाश मल्होत्रा	57	3004	35043
8	श्री मदन लाल	59	2430	25353
9	श्री चुन्नी लाल	69	1890	19052
10	श्री भागी राम	75	945	11026
11	श्री नेम सिंह	81	1890	22052
12	श्री जगदीश चन्द	83	1620	18901
13	श्री छोटा राम	89	2160	25202
14	श्री शादी लाल	197	1620	17929

योग राशि ₹269946

वार्ड नं० 4

क्र०सं०	नाम	गृहकर निर्धारण सं०	वार्षिक गृहकर राशि	दिनांक 31.3.15 को गृहकर बकाया राशि
1	श्री गँजा राम	27	2025	23627
2	श्री सुँका राम	29	2700	31502
3	श्री राम दास	33	2025	19627
4	श्री सालिग राम	45	6750	78757
5	श्री लौंगु राम	61	1215	13975
6	श्री दौलत राम	69	3780	44103
7	श्रीमती कमला चन्देल	73	3375	39377
8	श्रीमती केसरी देवी	89	2160	25202
9	श्री सीता राम	111	2160	25202
10	श्री गुरुवर्खा	141	2025	23627
11	श्री बाबू राम	161	1755	20467
12	श्री के०के० जोशी	185	2093	24111
13	श्री भगत राम	221	2808	2554

योग राशि ₹395130

वार्ड नं० 5

क्र०सं०	नाम	गृहकर निर्धारण सं०	वार्षिक गृहकर राशि	दिनांक 31.3.15 को गृहकर बकाया राशि
1	श्री निका राम	1	2700	31502
2	श्री वी०आर० शर्मा	9	2025	23627
3	श्री अमर नाथ	13	4050	47254
4	श्री गुरुदास सिंह	125	1620	18402
5	श्रीमती नरेन्द्रा पाल	24	10125	40500
			योग राशि	₹161285

वार्ड नं० 6

1	श्री जगदीश चन्द	1	2025	19594
2	श्री ईश्वर दास	9	1620	18702
3	श्री श्याम लाल	11	2565	29928
4	श्री रतन चन्द	13	1620	14402
5	श्री रमेश चन्द	43	2025	23127
6	श्री बीरबल राम	53	2025	23427
7	श्रीमती बिमला देवी	65	2700	31502
8	श्री जी०एल० भारद्वाज	111	1941	22582
9	श्री केदार नाथ	131, 133	1890	22052
10	श्रीमती कृष्णी देवी	155	8640	99807
11	श्री रमेश चन्द	161	3375	39377
12	श्री कृपा नाथ	80 / 212	10125	118134
			योग राशि	₹462634

वार्ड नं० 7

1	श्री कांशी राम	19	11350	13122
2	श्री नानंक चन्द	51	—	15932

3	श्री राम लाल	69	1580	18434
4	श्री जोध सिंह	71	1350	15752
5	श्री केवल कृष्ण	79	608	7096
योग राशि				₹70336
कुल गृहकर राशि				₹1359331

10 दुकानों के किराये की बकाया राशि ₹0.64 लाख की वसूली न करने बारे:—

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.2015 तक दुकानों के किराये की बकाया राशि ₹63637/— वसूली हेतु शेष पड़ी थी जिसका विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट (H) में दिया गया है। नगर पंचायत द्वारा किराये की वसूली हेतु कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई। अतः मासिक किराये की राशि नियमित रूप से प्राप्त न किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार सम्बन्धित दुकानदारों को नोटिस जारी किए जाए तथा नियम 258 के उप नियम (2) तथा (3) के प्रावधानों के अनुसार किराया न देने वाले दुकानदारों के विरुद्ध कार्रवाई करके बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित करें।

10.1 नगर पंचायत द्वारा दुकानों के किराये के इकरारनामों की शर्तों के अनुसार नवीनीकरण न करने से राशि ₹6195/— की वित्तीय हानि बारे:—

दुकानों के किराये अनुबन्धों की जाँच करने पर पाया गया कि निम्नविवरणानुसार पंचायत द्वारा दुकानों के किराये के इकरारनामों की शर्तों के अनुसार किराये में बढ़ौतरी व अनुबन्धों का नवीनीकरण न करने से राशि ₹6195/— की वित्तीय हानि हुई। अतः किराये के अनुबन्धों का नवीनीकरण व किराये में बढ़ौतरी न करने का औचित्य स्पष्ट करें तथा निर्धारित नियमों के अनुसार किराये में बढ़ौतरी व अनुबन्धों का नवीनीकरण करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवायें।

क्र० सं०	दुकान नं०	नाम दुकानदार	किराया अनुबन्ध की तिथि	पंचायत द्वारा वसूल/ लिया गया मासिक किराया	किराया अनुबन्ध नवीनीकरण की तिथि	वास्तव में किराया जो वसूल किया जाना था	अवधि 4/13 से 3/15 तक कम वसूल राशि
1	3	रिजनल (क्षेत्रीय) प्रबन्धक ए०पी०एम०सी० कांगड़ा (हि०प्र०)	1.4.10 1.4.13	1650 1650	1.4.13 1.4.16	— 1815	— 24X165 3960
2	4	श्री बीरबल सिंह सुपुत्र श्री सीता राम गाँव धार बासड़ा डाकघर कोसरियाँ (तलाई)	1.5.11 1.4.12 1.3.13 1.2.14 1.1.15	450 450 450 450 450	31.3.12 28.2.13 31.1.14 31.12.14 30.11.15	458 481 505 530 557 up to 3/15	11X8=88 31X11=341 55X11=605 80X11=880 107X3=321 2235 कुल योग राशि ₹6195

11 रैहन बसेरा की आय राशि ₹0.15 लाख की वसूली न करना:—

रैहन बसेरा रजिस्टर की जांच करने पर पाया गया कि निम्नविवरणानुसार रैहन बसेरा में ठहरने वाले विभिन्न व्यक्तियों/अधिकारियों से राशि ₹15100/— की वसूली नहीं की गई थी। रैहन बसेरा में ठहराव करने पर किराये की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अपेक्षित राशि की वसूली करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जायें।

क्र०सं०	रैहन बसेरा में ठहरने वाले अधिकारी/व्यक्ति का नाम	ठहरने की अवधि	आरक्षित कमरों की सं०	वसूली योग्य राशि
1	श्री पवन कुमार उपाध्यक्ष नगर पंचायत तलाई	29.6.14 से 27.7.14 (28 दिन)	1 सैट	1400

2	श्रीमती सरोज कुमारी प्रधान/अध्यक्ष	11.7.14 से	1 सैट	500
	नगर पंचायत तलाई	16.7.14		
3	प्रभारी मन्दिर न्यास श्री बाबा बालक	5.6.14 से	2 सैट	400
	नाथ तलाई	6.6.14		
4	अध्यक्ष मन्दिर न्यास श्री बाबा बालक	13.3.15 से	2 सैट	12800
	नाथ तलाई	13.4.15		
कुल राशि				15100

12 श्री अशोक कुमार सफाई कर्मचारी का वेतन व भत्तों की राशि ₹131/- का अधिक भुगतान:-

जाँच के दौरान यह पाया गया कि श्री अशोक कुमार सफाई कर्मचारी को माह 2/15 के वेतन व भत्तों की राशि ₹131/- को नियमानुसार अधिक भुगतान किया गया है।

1 पूरे माह हेतु देय वेतन

BP+	GP+	DA+	HCA+	Med. Allwance+	EmpShare+	Con.All.+	Liv. All.+	SP	
6380+	1650+	8030+	200+	350+	1606+	50+	140+	100	18506

(2) 25 दिनों हेतु देय वेतन

5696+	1473+	7170+	179+	313+	1434+	45+	125+	89	16524
-------	-------	-------	------	------	-------	-----	------	----	-------

(3) 25 दिनों हेतु किया गया भुगतान

5742+	1485+	7227+	180+	315+	1445+	45+	126+	90	131
-------	-------	-------	------	------	-------	-----	------	----	-----

अधिक भुगतान की राशि 16655—16524= 131

जिसका पुनः अवलोकन करने पर वसूली सुनिश्चित करें।

13 यात्राकाल के दौरान डी0ए0 की राशि ₹1442.00 का अधिक भुगतान:-

प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या वित्त (सी)-बी (7)-1/2009 दिनांक 19.6.2012 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुरूप यात्रा काल के दौरान निम्नानुसार दैनिक भत्ता शेष था।

केटेगरी	दर
Category	Rate
A	120
B	96
C	84
D	72
E	60

यात्रा भत्ता दावों की जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न कर्मचारियों को यात्रा काल के दौरान दैनिक भत्ते का भुगतान उक्त दरों से अधिक दरों पर करने के कारण कर्मचारियों को राशि ₹1442/- का अधिक भुगतान किया गया। अतः अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(क)	नाम	पदनाम	केटेगरी	दिनांक	देय डी0ए0 की राशि	भुगतान की गई डी0ए0 की राशि	अधिक भुगतान की राशि
	श्री अश्विनी कुमार	कनिष्ठ अभियन्ता	सी	31.10.13	84	180	96
	—यथोपरि—	—यथोपरि—	—यथोपरि—	11.11.13	84	180	96
	—	—		27.11.13	84	250	166
	—	—		30.11.13	84	180	96
					कुल राशि		454
(ख)	श्री विनोद कुमार	क्लर्क	डी	8.10.13	50	112	62
	—यथोपरि—	—यथोपरि—	—यथोपरि—	15.10.13	50	112	62
	—यथोपरि—	—यथोपरि—	—यथोपरि—	23.10.13	50	112	62

—यथोपरि—	—यथोपरि—	—यथोपरि—	29.10.13	50	112	62
—	—	—	1.11.13	50	112	62
—	—	—	12.11.13	50	112	62
कुल राशि						372
(ग) श्री अशोक कुमार शर्मा	सचिव	डी	19.11.14	72	160	88
—यथोपरि—	—यथोपरि—	—यथोपरि—	22.11.14	72	160	88
—यथोपरि—	—यथोपरि—	—यथोपरि—	12.8.14	72	160	88
—	—	—	17.9.14	72	160	88
—	—	—	26.12.14	72	160	88
—	—	—	37.12.13	72	160	88
—	—	—	20.1.14	72	160	88
राशि						616
कुल वसूली योग्य राशि क+ख+ग= 454+372+616						₹1442

14 वाउचर संख्या 7 माह 1/15 ₹42600

वाउचर संख्या 7 माह 3/15 ₹14528

निर्माण कार्य से सम्बन्धित आपूर्ति किये गये सामान के भुगतान वाउचरों की जाँच करने पर पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा 20एमएम एग्रीगेट (Aggregate) की आपूर्ति पर निर्धारित 5% की दर से Voids Factor (वायड) न घटाकर निम्नानुसार ₹1920 का अधिक भुगतान किया गया जिसका औचित्य स्पष्ट करें अन्यथा अधिक भुगतान की राशि की वसूली सम्बन्धित ठेकेदार अथवा दोषी से करके अनुपालना सुनिश्चित करें।

माह	एग्रीगेट की मात्रा व साईज	दर ₹160 Per cum	ठेकेदार का नाम
8/14	3.20 cum	20mm	श्री राम कृष्ण शर्मा
9/14	15.75 cum	-do-	
3/15	4.96 cum	-do-	
कुल मात्रा	23.91 cum		

भुगतान की गई राशि 23.91x1600=38256

उपरोक्त आपूर्ति की गई एग्रीगेट पर निर्धारित दर 5 प्रतिशत की दर से Voids (वायड) घटाने पर भुगतान योग्य देय राशि

$$23.91 \text{cum} \times 5 \text{ प्रतिशत} = 1.20$$

$$23.91 - 1.20 = 22.71 \text{ cum}$$

$$\text{अर्थात् } 22.71 \text{ cum} \times 1600 = ₹36336$$

अधिक भुगतान की राशि

$$38256 - 36336 = 1920$$

15 राशि ₹939 का अधिक भुगतान:—

कार्य का नाम:— वार्ड नं0 5 में रास्ते का निर्माण कार्य

ठेकेदार का नाम:— श्री देस राज शर्मा

वाउचर संख्या:— 13 राशि ₹271114

एम0बी0 सं0:— 11 पेज संख्या 28

अवार्ड पत्र सं0:— 987 दिनांक 1.8.13

उपरोक्त निर्माण कार्य में ठेकेदार को गलत गणना के कारण मद संख्या 4 प्रोवाईडिंग व लेईंग Providing Laying 1:5:10 सीमेन्ट कंक्रीट विद 15% प्लम पर गलत जमा के कारण कुल निष्पादित की गई मात्रा 45.51 cum के स्थान पर 45.96 cum अर्थात् .45 cum दर 2087 से $2087 \times .45 = ₹939$ का अधिक भुगतान किया गया है जिसकी वसूली अपेक्षित है।

16 स्ट्रीट लाईट की मुरम्मत से सम्बन्धित खरीदे गये बिजली के सामान बारे:—

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत तलाई द्वारा विभिन्न अन्तरालों में स्ट्रीट लाईट की मुरम्मत से सम्बन्धित बिजली का सामान खरीदा गया है। चयनित माह में पंचायत द्वारा वाउचर संख्या 19 माह 3/15 में ₹39220/- मै0 पटियाल इलैक्ट्रीकल वर्क्स से

बिजली का सामान जिसमें सी एफ एल बल्ब 18 वॉट कीटकेट एस बी एल चौक 70 वाट इगनाईटर केपेस्टर 6 एम एम की तारें (wire) इत्यादि शामिल है। स्ट्रीट लाईट की मुरम्मत हेतु खरीदा गया जिसमें निम्नलिखित अंकक्षण आपत्तियाँ पाई गई जिसकी अनुपालना अभिलेख सहित आगामी अंकक्षण पर दर्शायें।

नगर पंचायत द्वारा विभिन्न फर्मों से निविदाओं के आधार पर खरीद की प्रक्रिया अपनाई गई थी परन्तु आमन्त्रित की गई निविदाओं में किसी भी फर्म द्वारा मेक के आधार पर बिजली के सामान की दरें न ही अंकित की गई और न ही नगर पंचायत द्वारा आपूर्ति आदेश जारी करते समय यह उल्लेख किया गया था जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त पंचायत द्वारा प्राप्त किये गये बिजली के सामान के बिलों पर तथा स्टॉक रजिस्ट्रों पर भी विधिवत मेक का विवरण नहीं दिया गया था जोकि एक गम्भीर अनियमितता है जिससे प्राप्त बिजली के सामान की अनुपालना व भुगतान की गई राशि की सत्यता की जाँच नहीं की जा सकती है। निविदाएं आमन्त्रित करते हुए तथा आपूर्ति आदेशों को जारी करते समय निश्चित मेक के बिजली के सामान का उल्लेख किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

16.1 नगर पंचायत द्वारा यह चिन्हित नहीं किया गया है कि इनके परिक्षेत्र में स्ट्रीट लाईट के मुरम्मत के कितने सर्विस प्वाइंट है तथा खरीदा गया बिजली का सामान प्रभारी के मांग पत्र के अनुरूप किस सर्विस प्वाइंट में बदला गया है। सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकक्षण में दर्शाया जाना सुनिश्चित करें।

16.2 नगर पंचायत द्वारा समय-2 पर पुराना बिजली का सामान बदला जाता है परन्तु पुराने बदले गये कीमती सामान का स्टॉक में इन्द्राज (Dead Stock Register/Old Replacement) में इन्द्राज नहीं किया जाता है जिसमें सामान के दुरुपयोग की सम्भावनाओं से इन्कार नहीं किया जा सकता क्योंकि नियमों में विनिर्दिष्ट निर्देशों के अन्तर्गत बदले गये बिजली के कीमती सामान को निश्चित प्रक्रिया के पश्चात नीलामी की जानी अपेक्षित है।

17 भवन निर्माण माप चित्र शुल्क राशि ₹0.07 लाख की वसूली न करने बारे:-

भवन निर्माण माप चित्र शुल्क अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि निम्नविवरणानुसार पंचायत द्वारा मकान मालिकों से राशि ₹7710/- की वसूली नहीं की जबकि पंचायत द्वारा इन भवनों के निर्माण हेतु नकशें स्वीकृत किये गये थे। इस सन्दर्भ में

शहरी विकास विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या एल0एस0 एच0 डी (1)–9/94 खण्ड–iv दिनांक 13.12.2000 में जारी किये गये निर्देशों अनुसार वसूली की जानी अपेक्षित थी। अतः भवन निर्माण शुल्क की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट करें तथा वाँछित राशि की अब वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

क्र०सं०	वर्ष	नाम व पता	भवन का क्षेत्रफल	पंचायत द्वारा भवन माप चित्र पास करने का प्रस्ताव नं० व दिनांक	भवन माप चित्र शुल्क राशि जो पंचायत द्वारा वसूल नहीं की गई
1	2013–14	श्री रिखी राम सुपुत्र श्री सुख दयाल वार्ड नं० 7 तलाई	60.48 m ²	167 / 10.1.14	3538
2	2013–14	श्रीमती सुमेधा शर्मा पुत्री श्री सुरेन्द्र कांत वार्ड नं० 7 तलाई	274m ²	167 / 10.1.14	3252
3	2014–15	श्री राजेश कुमार सुपुत्र श्री श्याम लाल वार्ड नं० 1 तलाई	228.4 पहली मंजिल	225 / 18.2.15	920
योग राशि					₹7710

17.1 भवन निर्माण माप चित्र शुल्क ₹101/– की कम वसूली बारे:-

भवन निर्माण माप चित्र शुल्क अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि वर्ष 2013–14 के दौरान श्री सुरेन्द्र कुमार के भवन के माप चित्र को नगर पंचायत के प्रस्ताव संख्या 178 दिनांक 26.2.14 द्वारा पारित किया गया तथा पंचायत द्वारा माप चित्र शुल्क की राशि ₹9948/– की वसूली की गई। शुल्क की जाँच पर पाया गया कि वास्तव में निम्नविवरणानुसार शुल्क की राशि ₹10048.70 बनती थी।

(i)	Change of Land Use fee	418.40x10=	4180.40
(ii)	माप चित्र शुल्क	1173.66x5=	5868.30
			योग 10048.70

इस प्रकार परिषद द्वारा माप चित्र शुल्क की राशि ₹101.00 (₹10049-9948) की कम वसूली की गई। अतः माप चित्र शुल्क की राशि ₹101.00 के कम वसूली करने का औचित्य स्पष्ट करें अन्यथा राशि की वसूली करने के उपरान्त पंचायत निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए।

18 मोबाईल टावरों की स्थापना एवं नवीनीकरण शुल्क राशि ₹0.06 लाख की वसूली न करना:-

अभिलेख की जाँच पड़ताल करने पर पाया गया कि पंचायत क्षेत्र में विभिन्न कम्पनियों द्वारा रिहाईसी एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों के भवनों के उपर मोबाईल टावर स्थापित किये गये हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या DIIt-DEV (IT) 2005 (Misc.) दिनांक 20.8.2006 द्वारा निर्धारित स्थापना एवं नवीनीकरण शुल्क की बकाया राशि ₹6250/- दिनांक 31.3.2015 को विभिन्न कम्पनियों से वसूल करनी शेष थी जिसका ब्यौरा परिशिष्ट "i" में दिया गया है। अतः मोबाईल टावरों की स्थापना एवं नवीनीकरण शुल्क की बकाया राशि को शीघ्र सम्बन्धित कम्पनियों से वसूल करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

19 अनुपयुक्त/बेकार पड़े (Unserviceable) सामान की नीलामी करने बारे:-

अंकेक्षण के दौरान स्टॉक रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि नगर पंचायत तलाई द्वारा विभिन्न सामान जिसमें डस्टबिन डबल व्हील बैरी हैन्ड कार्टस डोर एंगल व अन्य सामान शामिल को बेकार घोषित किया गया है (विवरण परिशिष्ट "J")। अतः उपरोक्त बेकार पड़े सामान को हिमाचल प्रदेश वित्त नियमावली 2009 के नियम 145 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुरूप कमेटी का गठन करके अन्य औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात नीलाम किया जाना सुनिश्चित करें अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

20 स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न किया जाना:-

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि अंकेक्षणाधीन अवधि में नगर पंचायत के विभिन्न स्टॉक रजिस्ट्रों में पड़े सामान का प्रत्यक्ष सत्यापन (Physical Verification) नहीं किया गया है जबकि हिमाचल प्रदेश वित्त नियम की धारा 15.17 के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष स्टॉक

में पड़े सामान की प्रत्यक्ष सत्यापना करवाई जानी अपेक्षित है। अतः नियमों की अवहेलना करके प्रत्येक वर्ष प्रत्यक्ष सत्यापन न करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अविलम्ब प्रत्यक्ष सत्यापना करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

21 लघु आपति विवरणिका:— यह अलग से जारी नहीं की गई।

22 निष्कर्ष:— लेखों में अत्याधिक सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता / —

उप निदेशक

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग

हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्या: फिन(एल0ए0(एच(2)(15) 5 (75)/84 खण्ड -2-6923-24 दिनांक, 28.11.15
शिमला—171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

- 1 निदेशक, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश शिमला—171002 को पैरा 1 (ख) द्वारा वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
- पंजीकृत** 2 सचिव, नगर पंचायत तलाई, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को प्रतिवेदन जारी होने से एक मास के भीतर इस विभाग को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

हस्ता / —

उप निदेशक

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग

हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009

परिशिष्ट "A"

पैरा संख्या 1 (ग) में वर्णित

गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों से सम्बन्धित अनुपालना के सत्यापन उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति

हिमाचल प्रदेश सरकार शहरी की लेखा परीक्षा का वार्षिक प्रतिवेदन फरवरी 95 से मार्च 1997 (विशेष रिपोर्ट)

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/93 से 3/96 तक

1	पैरा-8	अनिर्णीत
---	--------	----------

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/89 से 3/93 तक

1	पैरा-5	अनिर्णीत
---	--------	----------

2	पैरा-6	अनिर्णीत
---	--------	----------

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 27.10.95 से 28.10.95

1	पैरा-5	अनिर्णीत
---	--------	----------

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/93 से 3/96

1	पैरा-8	अनिर्णीत
---	--------	----------

2	पैरा-12 (क)	अंशतः निर्णीत
---	-------------	---------------

3	पैरा-13 (क, ख, ग)	अनिर्णीत
---	-------------------	----------

4	पैरा-14 (क, ख, ग)	अनिर्णीत
---	-------------------	----------

(ङ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/96 से 3/2005

1	पैरा-6 (क, ख)	अनिर्णीत
---	---------------	----------

2	पैरा-6 (2, 3, 4, 5, व 7)	अनिर्णीत
---	--------------------------	----------

3	पैरा-6 (8)	अनिर्णीत
---	------------	----------

4	पैरा-6 (9)	अनिर्णीत
---	------------	----------

5	पैरा-6 (10)	अनिर्णीत
---	-------------	----------

6	पैरा-7 (ग) (1 , 2, 3)	अनिर्णीत
7	पैरा-7 (घ, ङ, च)	अनिर्णीत
8	पैरा-8 (क)	अनिर्णीत
9	पैरा-8 (ख)	अनिर्णीत
10	पैरा-8 (छ)	अनिर्णीत
11	पैरा-8 (ज)	अनिर्णीत
12	पैरा-8 (झ)	अनिर्णीत
13	पैरा-8 (ड)	अनिर्णीत
14	पैरा-8 (ण)	अनिर्णीत
15	पैरा-8 (त)	अनिर्णीत
16	पैरा-8 (थ)	अनिर्णीत
17	पैरा-8 (द)	अनिर्णीत
18	पैरा-8 (न)	अनिर्णीत
19	पैरा-8 (प)	अनिर्णीत
20	पैरा-8 (ब)	अनिर्णीत
21	पैरा-8 (भ)	अनिर्णीत
22	पैरा-8 (म)	अनिर्णीत
23	पैरा-8 (य)	अनिर्णीत
24	पैरा-8 (ल)	अनिर्णीत
25	पैरा-8 (व)	अनिर्णीत
26	पैरा-8 (श)	अनिर्णीत
27	पैरा-9 (ख)	अनिर्णीत
28	पैरा-9 (ग) (1, 2, 3)	अनिर्णीत
29	पैरा-9 (घ) (1, 2, 3)	अनिर्णीत
30	पैरा-9 (ङ) (1, 2)	अनिर्णीत
31	पैरा-9 (च) (1, 2)	अनिर्णीत
32	पैरा-9 (छ) (1, 2)	अनिर्णीत
33	पैरा-9 (ज) (1, 2, 3, 4)	अनिर्णीत
34	पैरा-9 (झ)	अनिर्णीत

35	पैरा-9 (अ)	अनिर्णीत
36	पैरा-9 (ट) (1, 2, 3)	अनिर्णीत
37	पैरा-9 (ड)	अनिर्णीत
38	पैरा-9 (ढ)	अनिर्णीत
39	पैरा-9 (ण)	अनिर्णीत
40	पैरा-9 (त)	अनिर्णीत
41	पैरा-9 (थ)	अनिर्णीत
42	पैरा-9 (द)	अनिर्णीत
43	पैरा-9 (ध) (1, 2, 3)	अनिर्णीत
44	पैरा-10 (क)	अनिर्णीत
45	पैरा-10 (ख)	अंशतः निर्णीत
46	पैरा-10 (ग) (1, 2, 3)	अनिर्णीत
47	पैरा-10 (घ)	अंशतः निर्णीत
48	पैरा-10 (ङ) (क)	अनिर्णीत
49	पैरा-10 (ङ) (ख)	अनिर्णीत

(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2005 से 3/2007

1	पैरा-4 (3)	अनिर्णीत
2	पैरा-4 (4)	अनिर्णीत
3	पैरा-4 (6)	अनिर्णीत
4	पैरा-7 (ए) (1)	अनिर्णीत

(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2010

1	पैरा-5 (1)	अनिर्णीत
2	पैरा-5 (2)	अनिर्णीत
3	पैरा-10 (3)	अनिर्णीत
4	पैरा-10 (4)	अनिर्णीत

(ज) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2010 से 3/2013

1	पैरा-3	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क ₹25800 बैंक ड्राफ्ट संख्या 296464 दिनांक 17.5.13 के अन्तर्गत जमा करवा दी गई है)
2	पैरा-4 (क) (ग) (घ)	अपडेटिड	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 4 व

3	पैरा-5	अपडेटिड	4 क में पुनः प्रारूपित वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 5 में पुनः प्रारूपित
4	पैरा-6	अनिर्णीत	
5	पैरा-7	अपडेटिड	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 6 में पुनः प्रारूपित
6	पैरा-8 (क)	अपडेटिड	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 11 में पुनः प्रारूपित
7	पैरा-8 (ख)	अनिर्णीत	
8	पैरा-9	अपडेटिड	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 12 में पुनः प्रारूपित
9	पैरा-10 (क)	अनिर्णीत	
10	पैरा-10 (ख)	अनिर्णीत	
11	पैरा-11 (क)	अनिर्णीत	
12	पैरा-12	अनिर्णीत	
13	पैरा-13	निर्णीत	(₹1085 की वसूली वर्तमान अंकेक्षण के दौरान रसीद संख्या 38/65 दिनांक 16.6.15 द्वारा जमा करवा दी गई है)
14	पैरा-14	निर्णीत	(आवश्यक कार्रवाई कर ली गई है)
15	पैरा-15 (क) व (ख)	अनिर्णीत	
16	पैरा-17 (क) (ख) (ग)	अनिर्णीत	
17	पैरा-18 (क)	अनिर्णीत	
18	पैरा-19 (क)	अनिर्णीत	
19	पैरा-20	निर्णीत	(₹762 रसीद संख्या 40/65 दिनांक 16.6. 2015 के अन्तर्गत जमा करवा दी गई है)
20	पैरा-21	अनिर्णीत	
21	पैरा-22	अनिर्णीत	
22	पैरा-23	अनिर्णीत	
23	पैरा-24	अनिर्णीत	

